न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 98/18 RCMS id : 2018/00166

1. अमरलाल पुत्र परसा
2. चतरा पुत्र परसा
3. लदूर पुत्र परसा
4. हीरा बाई पुत्री परसा
5. सीता बाई पुत्री परसा
6. कैलाश बाई पुत्री परसा
7. कच्छू बाई पुत्री परसा
8. रमा बाई पुत्री परसा
9. रूपी बाई विधवा स्वर्गीय परसा

जाति बंजारा, निवासीगण ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राहुल विजय पुत्र आर.डी. विजयवर्गीय महाजन, निवासी 1–च–13, विज्ञान नगर, कोटा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाबता दीवानी

उपस्थिति : अभिभाषक श्री ब्रम्हानन्द शर्मा, श्री कन्हैयालाल शाक्यवाल

निर्णय

दिनांक : 16.08.2022

1- प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी पेश किया गया।

2- प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थी क्रम 1 ने वाद बउनवान मुकदमा राहुल विजय बनाम अमरलाल, चतरा स्टेट बगैरा प्रकरण संख्या 48/15 अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए) 188 आर टी एक्ट का प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 12.09.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री कर दिया गया।
- अप्रार्थी क्रम 1(वादी) ने प्रार्थीगण की उक्त प्रकरण में कस्तूरी बाई, कलावती, व अन्य फर्जी नामों से तलबी करवाई गई प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के कोई सम्मन नही मिले और न ही प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी हो पाई। अप्रार्थी क्रम 1 ने साजिश कर फर्जी तलबी करवाकर वादिनी के विरूद्व एक तरफा निर्णय पारित करवा लिया। अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णय षडयन्त्र पूर्वक करवाया गया है। प्रार्थीगण अनपढ है और प्रार्थीगणो को धोखा देकर फर्जी तलबी करवाई गयी है।
- प्रार्थीगण को प्रकरण का कोई ज्ञान नहीं है। प्रार्थीगण बन्जारा जाति के सदस्य है। और प्रार्थीगण की जमीन को हडप करने की गरज से ही तलबी करवायी गयी है। यहां यह बताना भी अनावश्यक नही होगा कि प्रार्थीगण की आराजी गैर खातेदारी की है तथा आराजी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है।
- प्रार्थीगण में से प्रार्थी क्रम 4 लगायत 9 जगपुरा में निवास ही नही करती है, यह महिलाये अपने ससुराल में निवास करती है। केवल माननीय न्यायालय को धोखा देने की नियत से गलत पता लिखा गया है।
- प्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2018 को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत कर बाद डिक्री करवा लिया गया है। प्रार्थीगण को ज्ञात होने पर नकले प्राप्त की प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मान्यवर,

द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की जमीन को हडप करने की नियत से फर्जी तलबी करवाकर एक तरफा डिक्री प्राप्त की गई है। प्रार्थीगण को दिनांक 02.08.2018 को इजराय के सम्मन प्राप्त हुये, इससे ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी क्रम 1 वादी ने प्रार्थीगण के विरूद्व कोई कार्यवाही कर रखी है किन्तु सम्मन के साथ कोई नकल नही दी इसलिये प्रार्थीगण यह पता नही लगा सके कि प्रार्थीगण को किस प्रकार के प्रकरण में सम्मन दिया गया है।

- दिनांक 02.08.2018 को कोटा शहर अभिभाषक परिषद द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया था, इसलिये प्रार्थीगण न्यायालय में दिनांक 02.08.2018 को उपस्थित नही हो सके और दिनांक 25.09.2018 की तारीख पेशी दी गई थी। दिनांक 25.09.2018 को सरकारी कर्मचारियो ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रखा था इसलिये अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही कर सके। प्रार्थीगण गरीब अनपढ़ मजदूर है और प्रार्थीगण की आराजी को अप्रार्थी फर्जी तलबी करवाकर हड़प जाना चाहते है।
- प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उनके विरूद्व प्रकरण संख्या 48/15 न्यायालय से निर्णित हुआ है इसलिये न्यायालय का निर्णय ज्ञात होने के पश्चात् प्रार्थीगण ने सत्यप्रतिलिपि न्यायालय से निकलवाई जो प्रार्थीगण को दिनांक 10.09.2018 को प्राप्त हुई।
- अतः दिनांक 10.09.2018 से उक्त प्रकरण का ज्ञान होने से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है न्याय के हित में दिनांक 12.09.2017 को पारित डिक्री अपास्त फरमाई जावे व प्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिये जाने के आदेश प्रदान करे।

3- न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण की तलवी जारी होने के 30 दिवस बाद तक अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने तथा प्रार्थीगण द्वारा डाक वितरण की रिपोर्ट पेश होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक् तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1, 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4- प्रार्थना पत्र के बहस में आने पर प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 ने अपना वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) की सम्यक तामील नहीं करवाई गई। [illegible] के अभाव में प्रार्थीगण की जानकारी के बिना ही निर्णय कर दिया गया। अतः आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत उक्त निर्णय अपास्त किया जावे।

5- हमने प्रार्थी अभिभाषक की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया –

- न्यायिक प्रक्रिया में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही या विचारण पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाना चाहिये। न्यायालय सामान्यतः पक्षकारों की अनुपस्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही का विचारण नहीं करता है। इसी कारण किसी कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने के पूर्व न्यायालय विरोधी पक्षकार को समन द्वारा न्यायालय में उपस्थित रहते हेतु आहूत करते है तथा न्यायालय के ऐसे समन की पालना ना करने पर पक्षकार को उसके परिणाम भुगतने होते है। इसी प्रक्रिया के बारे में आदेश 9 में उपबंन्ध किये गये है। आदेश 9 नियम 6 के अन्तर्गत यदि सम्यक तामील के उपरान्त प्रतिवादी नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होता है तब न्यायालय उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर सकेगा तथा इस आदेश में उल्लेखित उपबन्धों के अन्तर्गत विचारण के दौरान एकपक्षीय आदेश को अपास्त नहीं कराने की सूरत में न्यायालय एकपक्षीय डिक्री वादी के पक्ष में पारित कर सकेगा। आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में एकपक्षीय डिक्रियों को अपास्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया दी गई है।
- किसी एकसे मामले में जिसमें प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिये आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय को यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के

समय उपस्थित होने से किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहा था या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहॉ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहॉ तक अपास्त कर दी जाये और आगे कार्यवाही के लिये दिन नियत करे, परन्तु यदि न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की सूचना थी और उपसंजात होने के लिये और वादी के दावे का उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

- उल्लेखनीय है कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत, परिसीमा अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 164 के अनुसार डिक्री के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाना आवश्यक है।
- उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रावधान वही लागू होगें जहॉ सम्यक (Proper) तामील नहीं हुई हो और सम्यक तामील के बारे में आदेश 5 नियम 15 सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर तामील कराये जाने के प्रावधान विद्यमान है। इसके अनुसार "जहॉ किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर सम्मन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है और सम्मन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, वहॉ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, की जा सकेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में, विवादित (निर्णित) प्रकरण संख्या 48/15 का अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रतिवादीगण की तलवी हेतु न्यायालय पत्रांक 558 दिनांक 30.06.2015 को समन जारी किये जाकर उपस्थिति हेतु दिनांक 26.08.2015 नियत की गई थी। उक्त समनों पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के मुताबिक समनों का वितरण करने की रीति का अंकन है। इसके अनुसार सम्बन्धित पक्षकार के परिवार के वयस्क सदस्य (बहू, भाभी, पत्नी) पर तामील कराई गई है। परिवार के वयस्क सदस्य को तामील होने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिये और वादी के दावे का उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय था। उक्त तामील आदेश 5 नियम 9–19 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार है, इस कारण समन की तामील में अनियमितता मानकर उक्त एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करना न्यायोचित नहीं होगा।
- प्रस्तुत प्रकरण के वाद संख्या 48/15 का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 को जारी हो चुकी थी तथा प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 04.10.2018 को पेश किया गया जो परिसीमा अधिनियम के तहत नियत सीमा से अत्यन्त विलम्ब से पेश किया गया है।
- तामील में अनियमितता सिद्ध न हो पाने की स्थिति में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रतिवादी को उस डिक्री के विरूद्ध संहिता की धारा 96 में अपील किये जाने तथा धारा 114 व आदेश 47 में पुनर्विलोकन किये जाने के प्रावधान विद्यमान है, जिनमें माध्यम से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण स्वतन्त्र है।
- अतः प्रार्थीगण की तलवी बाबत लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है, जो फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद हो।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा